निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 वैशाख 1935 (श0)

(सं0 पटना 331) पटना, शुक्रवार, 3 मई 2013

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश

16 अप्रील 2013

सं0 07/नि॰(विधि–11)विविध–60/2012–1620—मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी॰डब्लू॰जे॰सी॰संख्या 3179/2008, भिखारी ठाकुर बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनाक 03.02.12 –सह– पठित एम॰जे॰सी॰ संख्या–5517/2012 में पारित आदेश दिनांक 06.03.2013 के आलोक में श्री भिखारी ठाकुर (वादी) के आवेदन दिनांक 20.03.2013 द्वारा दि सेन्ट्रल बैंक इम्पलाईज बचत एवं साख स्वावलम्बी सहकारी समिति लि॰, सुपौल (जिसका निबंधन संख्या–बी॰आर॰–05–00–00–15–001–1998 एवं तिथि 18.12.1998 है) के जमाकर्त्ताओं की धनराशि को सुरक्षित बचाने हेतु बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा–45 में निबंधक को प्रदत्त शक्तियों के तहत् उक्त प्रासंगिक समिति में परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रासंगिक सी॰डब्लू॰जे॰सी॰संख्या–3179/2008 में मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 03.02.12 को पारित न्यायादेश के आलोक में इस कार्यालय आदेश संख्या–1911 दिनांक 04.04.12 द्वारा उक्त प्रासंगिक समिति के अंकेक्षण हेतु जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहरसा एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सुपौल के संयुक्त पर्यवेक्षण में एक त्रिसदस्यीय अंकेक्षण दल का गठन कर दो माह के भीतर अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया था। जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहरसा ने अपने पत्रांक 228 दिनांक 07.08.2012 द्वारा यह प्रतिवेदित किया कि समिति में जमाकर्त्ताओं से जो भी जमा राशि प्राप्त हुआ है, वह समिति के 12 (बारह) शाखाओं से प्राप्त हुआ है, जिसका अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण अंकेक्षण करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है।

इस कार्यालय के पत्रांक 4587 दिनांक 03.09.2012 के आलोक में संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा के ज्ञापांक 421 दिनांक 07.12.12 द्वारा बिहार स्वावलम्बी सहकारी अधिकरण को सम्बोधित पत्र में अधिकरण से यह अनुरोध किया गया था कि प्रासंगिक समिति बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (यथा संशोधित) की धारा– 3, 27, 29, 32, 33, 35 एवं 36 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है, जो धारा–42 के अनुरूप है, अतएव प्रासंगिक समिति को बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा–44(1)घ के तहत् कार्रवाई करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया जाय। आवेदक श्री भिखारी ठाकुर ने अधोहस्ताक्षरी का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया है कि **''बिहार स्वावलम्बी सहकारी अधिकरण''** के अकार्यरत रहने के कारण संयुक्त निबधंक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा अधिकरण को सम्बोधित पत्रांक 421 दिनांक 07.12.12 के आलोक में उक्त अधिनियम, 1996 की धारा–44(1)घ के तहत् परिसमापन की कार्रवाई संभव नहीं है। आवेदक ने यह भी सूचित किया है कि नवम्बर, 2007 से समिति में निर्वाचित बोर्ड नहीं है, अतः सहकारी प्रबंधन मे शून्यता की स्थिति व्याप्त है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि दि सेन्ट्रल बैंक इम्पलाईज बचत एवं साख सहकारी समिति लि॰, जिसका निबंधन संख्या बी॰आर॰–05–00–00–15–001–1998 दिनांक 18.12.1998 है, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समति अधिनियम, 1996 की धारा–3, 27, 29, 32, 33, 35 एवं 36 के प्रावधानों के अनुसार एक निबंधित स्वावलम्बी सहकारी समिति के दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है। समिति अपने उपविधियाँ में निहित उद्देश्यों की पूर्त्ति में असफल रही है। समिति का वित्तीय प्रबंधन समुचित नहीं रहा है। गंभीर वित्तीय कुप्रबंधन एवं लापरवाही पूर्ण क्रियाकलाप के द्वारा समिति अपने सदस्यों/जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा कर पाने मे असफल रही है। बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा–44 के प्रावधानान्तर्गत सम्प्रति बिहार स्वावलम्बी सहकारी अधिकरण गठित नहीं रहने के कारण संयुक्त निबधंक, सहयोग समितियाँ कोशी प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक 421 दिनांक 07.12.2012 द्वारा अधिकरण को धारा–44(1)(ध) के तहत् कार्रवाई करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करने के अनुरोध के बावजूद अधिकरण से यथोचित आदेश अप्राप्त है एवं धारा–43 के अन्तर्गत समिति की आम सभा के स्तर से भी यथोचित चिधिसम्मत प्रस्ताव पारित कर अधोहस्ताक्षरी से परिसमापक नियुक्ति संबंधी अनुरोध नहीं किया गया है।

अतः मैं, मनीष कुमार, निबधंक, सहयोग समितियाँ, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा–45 में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में दी सेन्ट्रल बैंक इम्पलाईज बचत एवं साख स्वावलम्बी सहकारी समिति लि॰, सुपौल (जिसका निबंधन संख्या– बी॰आर॰–05–00–00–15–001–1998 एवं तिथि 18.12.1998) को विघटित करते हुए समिति के कार्यकलापों के परिसमापन के लिए श्री लक्ष्मी प्रसाद चौहान, जिला पदाधिकारी, सुपौल को तत्काल के प्रभाव से उक्त समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। नियुक्त परिसमापक उक्त अधिनियम, 1996 की धारा–46, 47 एवं 48 के अनुपालन में समिति का विधिनुकूल विघटन की कार्रवाई आदेश निर्गत की तिथि से छः माह के भीतर करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश की सूचना सभी सम्बन्धितों को दी जाय तथा आदेश की प्रति सरकारी गजट में भी प्रकाशित करने हेतु भेजी जाय।

आदेश से,
मनीष कुमार,
निबंधक, सहयोग समितियाँ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 331-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in